



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700001

दिनांक: 09.09.2025

कार्यालय ज्ञापन सं. 16/2025

कार्यालय आदेश सं. 03/2023 दिनांक 05.01.2023 के अनुसार तथा बोर्ड के कार्य एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की अनिवार्यता को देखते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने श्री राकेश कुमार, उप निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, कोलकाता को उप निदेशक चाय विकास के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बिना किसी वित्तीय लाभ के आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत टी बोर्ड में लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), साथ ही लोक शिकायत एवं आरटीआई से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नामित किया है।

-ह-

(अरुणिता फुकन यादव)

उपाध्यक्ष

वितरण:

1.	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, कोलकाता	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2.	श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर, अनुज्ञापन नियंत्रक एवं पीआईओ, टी बोर्ड, कोलकाता	आरटीआई, लोक शिकायत से संबंधित सभी फाइलें/दस्तावेज तत्काल श्री राकेश कुमार, उ नि चा वि को सौंप दें। .
3.	श्री अरुण कुमार टी, उप निदेशक (रोपण), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	कृपया सूचनार्थ.
4.	मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
5.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर एवं गुवाहाटी	
6.	बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
7.	उपाध्यक्ष/वि स एवं मु.ले अ/सचिव के निजी सहायक	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9.	हिंदी कक्ष	हिंदी अनुवाद हेतु।
10.	टीबीईए	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. स्था-आरटीआई/2/2025-स्थापना